(GI-11, GI-12+15, GI-13+14, SI-5)

DATE: 31.05.2020 MAXIMUM MARKS: 100 TIMING: 3¼ Hours

PAPER : AUDITING

DIVISION – A (MULTIPLE CHOICE QUESTION)

ANSWER (1-20) CARRY 1 MARK EACH

1. Ans. c
2. Ans. c
3. Ans. b
4. Ans. c
5. Ans. c
6. Ans. b
7. Ans. b
8. Ans. a
9. Ans. d
10. Ans. a
11. Ans. a
12. Ans. c
13. Ans. a
14. Ans. b
15. Ans. d
16. Ans. d
17. Ans. c
18. Ans. a
19. Ans. c
20. Ans. c

ANSWER (21-25) CARRY 2 MARKS EACH

21. Ans. b
22. Ans. b
23. Ans. d
24. Ans. b
25. Ans. c

DIVISION B-DESCRIPTIVE QUESTIONS
QUESTION NO. 1 IS COMPULSORY
ATTEMPT ANY FOUR QUESTIONS FROM THE REST

Answer 1:

Examine with reasons (in short) whether the following statements are correct or incorrect : (Attempt any 7 out of 8)

1. FALSE- धोखाधड़ी और त्रुटि की रोकथाम, पहचान और सुधार की प्राथमिक जिम्मेदारी प्रबंधन की है। इस प्रकार यदि लेखा परीक्षक किसी ऑडिट को नियंत्रित करने वाले बुनियादी सिद्धांतों के अनुसार अपना काम करता है, तो उसे वित्तीय विवरणों में गलत विवरण का पता लगाने के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है।
2. FALSE- यदि वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति में सभी मूलभूत लेखांकन मान्यताओं का पालन किया जा रहा है, तो विशिष्ट प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार, मौलिक लेखांकन धारणा के अनुपालन के मामले में प्रकटीकरण की आवश्यकता है।

3. TRUE- लेखांकन प्रणाली यानी लेनदेन और शेष द्वारा उत्पादित डेटा की पूर्णता, सटीकता और वैधता की जांच करने के लिए पर्याप्त प्रक्रियाएँ की जाती हैं।
4. TRUE- आमतौर पर प्रबंधन / कर्मचारी उच्च मूल्य की वस्तुओं में धोखाधड़ी नहीं करते हैं। इसके अलावा, एक सामान्य अभ्यास के रूप में, ऑडिटर उच्च मूल्य के सामानों की विस्तार से जांच करता है। इस प्रकार यह कम जोखिम भरा है कि उच्च मूल्य धोखाधड़ी और त्रुटि का पता नहीं लगाया जा सकता है। इसलिए, उच्च भौतिकता स्तर निम्न डिग्री पर ऑडिट जोखिम छोड़ देता है।
5. TRUE- यह उत्तरदाता से सभी मामलों में ऑडिटर को जवाब देने के लिए कहता है या तो प्रतिवादी के समझौते / दिए गए जानकारी से असहमति का संकेत देकर या प्रतिवादी को जानकारी भरने के लिए कहता है।
6. FALSE- खातों में ऑडिटर की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले औचक निरीक्षण के परिणामों के लिए सभी मामलों में यह आवश्यक नहीं है। हालांकि उन्हें शामिल किया जाना चाहिए, अगर लेखा परीक्षक की राय में, वे भौतिक हैं और खातों के एक सच्चे और निष्पक्ष दृष्टिकोण को प्रभावित करते हैं।
7. FALSE- लेखा परीक्षक द्वारा देखे गए आंतरिक नियंत्रण में किसी भी तरह की सामग्री की कमजोरी को प्रबंधन को समय पर लिखित रूप में सूचित किया जाना चाहिए। हालांकि इस तरह के संचार का उल्लेख होना चाहिए कि आंतरिक नियंत्रण की पर्याप्तता का निर्धारण करने के लिए ऑडिट नहीं किया गया है।
8. FALSE- जोखिम और अंतर्निहित स्तर और जोखिम के संयुक्त स्तर के बीच एक विपरीत संबंध है। इस प्रकार जब अंतर्निहित और नियंत्रण जोखिम अधिक होता है, तो ऑडिट जोखिम को स्वीकार्य स्तर तक कम करने के लिए स्वीकार्य पहचान जोखिम कम होना चाहिए।

{One Mark for Correct or Incorrect and 1 Mark for Explanation}

Answer 2:

(a) आशू प्राइवेट लिमिटेड के दिये गये मामले में इसकी चुकता पूँजी तथा संचय रु 50 लाख की हैं, जो कि रु 1 करोड़ से कम हैं, रु 9 करोड़ से कम है। हालांकि इसका अधिकतम देय ऋण बैंक और वित्तीय संस्थान से सयुक्त रूप से रु 1.40 लाख करोड़ (रु 70 लाख + रु 70 लाख) है। **{2 M}**

इसीलिए, यह ऋण से सम्बन्धित शर्त को पूर्ण करने में असफल है। इसीलिए, तदनुसार, CARO, 2016 आशू प्राइवेट लिमिटेड पर लागू होगा। **{2 M}**

Answer:

(b) लेखा परीक्षक के उद्देश्य–स्पष्ट और उचित संशोधित राय व्यक्त करने के लिए
लेखांकन मानक 705 के अनुसार ''स्वतन्त्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में राय में संशोधन'' लेखा परीक्षक का उद्देश्य वित्तीय विवरणों पर, जो आवश्यक हैं, स्पष्ट और उचित संशोधित राय व्यक्त करना होता हैं, जब– **{2 M}**

(a) ऑडिटर यह निष्कर्ष निकालता हैं, कि प्राप्त लेखा परीक्षण साक्ष्यों के आधार पर वित्तीय विवरण पूरी तरह से भौतिक गलतियों से मुक्त है।

(b) लेखा परीक्षक यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त तथा उचित लेखा परीक्षण सबूत जुटाने में असमर्थ है, कि वित्तीय विवरण पूरी तरह भौतिक गलतियों से मुक्त है। **{2 M}**

Answer:

(c) जब सम्बन्धित आंकड़े प्रस्तुत होते हैं, तब केवल निम्नलिखित परिस्थितियों को छोड़कर लेखा परीक्षक की राय सम्बधित आँकड़ों के सन्दर्भ में नहीं होगी–

(1) यदि पूर्व की अवधि पर लेखा परीक्षा की रिपार्ट जैसी कि पहले निर्गमित की जा चुकी हैं, योग्य राय, विपरीत राय और राय के अस्वीकरण को सम्मिलित करती है और वह मामले जो अनसुलझे बदलावों को जन्म देते हैं, उन्हें भी सम्मिलित करती है। लेखा परीक्षक वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों पर लेखा परीक्षक की राय को संशोधित करेगा, ऑडिटर की रिपोर्ट में संशोधित पैराग्राफ के आधार पर ऑडिटर होगा या तोः **{$1^{1/2}$ M}**

(a) वर्तमान अवधि के भौतिक आँकड़ो पर प्रभाव या संभावित प्रभाव के मामले में संशोधन को जन्म देने के मामले में वर्तमान अवधि के आँकड़े और सम्बन्धित आँकड़े दोनों सन्दर्भ में है।

(b) अन्य स्थितियों में, समझायें कि वर्तमान अवधि मे आँकड़ों और सम्बन्धित आँकड़ों की तुलनात्मक पर अनसुलझे मामलों के प्रभाव या संभावित प्रभाव के कारण लेखा परीक्षक की राय कों संशोधित किया गया है।

(2) यदि लेखा परीक्षक लेखा परीक्षक साक्ष्य प्राप्त करता हैं, कि पहले के वित्तीय विवरणों में एक भौतिक गलती मौजूद हैं, जिस पर एक अनाधिकृत राय पहले जारी की गई हैं, लेखा परीक्षक यह सत्यापित करेंगे, कि क्या गलत विवरण लागू वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अन्तर्गत आवश्यकता अनुसार पेश किये गये हैं और यदि ऐसा नहीं हैं, तो लेखा परीक्षक वर्तमान अवधि के वित्तीय ववरणों (संशोधित) पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में योग्य या विपरीत राय व्यक्त करेगा।

(3) पूर्व अवधि के वित्तीय विवरण जिनका अंकेक्षण नही हुआ– यदि पूर्व अवधि के वित्तीय विवरणों का अंकेक्षण नहीं हुआ तो लेखा परीक्षक ऑडिटर की रिपोर्ट के पैराग्राफ के अन्य मामलों में बताऐंगे कि सम्बन्धित अवधि के आँकड़ों का लेखा परीक्षण नहीं हुआ है, इस तरह के विवरण हालांकि लेखा परीक्षक को पर्याप्त तथा उचित लेखा परीक्षण साक्ष्य प्राप्त करने की आवश्यकताओं के लिए राहत प्रदान नहीं करते। प्रारम्भिक शेष में वह गलत विवरण सम्मिलित नहीं होते, जो भौतिक रूप से वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों को प्रभावित करते है। **{$1^{1/2}$ M}**

Answer:

(d) **लेखा परीक्षा कम्पनी की प्रतिभूतियाँ धारण करता है:** कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 141 की उपधारा (3) (d) (i) को कम्पनी (अंकेक्षण तथा अंकेक्षक) नियम, 2014 के नियम 10 के साथ पढ़ने के अनुसार एक व्यक्ति में लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिये योग्य नहीं होगा, जो या उसका रिश्तेदार या साझेदार उस कम्पनी या उसकी होल्ड्रिग या सहयोगी कम्पनी या ऐसी होल्डिंग कम्पनी की सहायक कम्पनियों में कोई भी प्रतिभूति या हित धारण करता है, इसलिए रिश्तेदार कम्पनी में रु 1 लाख से अधिक अंकित मूल्य की प्रतिभूति या हित धारण नहीं करेगा। **{1 M}**

इसके साथ ही, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 141 की उपधारा 4 के अनुसार जहाँ एक व्यक्ति कम्पनी में लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त है, वह अपनी नियुक्ति के बाद उप–धारा (3) में कथित किसी भी अयोग्यता के लिये उत्तरदायी होता हैं, वह लेखा परीक्षक के रूप में अपना कार्यालय रिक्त करेगा तथा यह लेखापरीक्षक के कार्यकाल में आकस्मिक रिक्ति मानी जाती है। **{1 M}**

वर्तमान स्थिति में, श्री हनुमान, चार्टर्ड अकाउटेंट, मै राम एण्ड हनुमान एसोसियेट्स के एक साझेदार, शिवा लि. के 100 समता अंशो को धारण करते हैं, जो कृष्णा लि. के सहभागी है इसलिए में राम एण्ड हनुमान एसोसियेट कृष्णा लि. के सांवेधिक लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त होने के लिये आयोग्य होंगे, जो शिवा लि. की होल्डिंग कम्पनी है, क्योंकि साझेदारों में से एक श्री हनुमान उसकी सहयोगी कम्पनी में समता अशों को धारण करते है। **{1 M}**

Answer 3:

(a) एक अन्य अंकेक्षक के कार्य का उपयोग करना : जब शाखा के खाते का अंकेक्षण कम्पनी के अंकेक्षक के अतिरिक्त व्यक्ति द्वारा किया जाता है, इस प्रकार के अंकेक्षक की तथा शाखा का खातों का अंकेक्षण के संबंध में कम्पनी के अंकेक्षक तथा कम्पनी के अंकेक्षण की भूमिका की स्पष्ट समझ होने की आवश्यकता है, साथ में एक प्रभावी अंकेक्षण के लिए दो अंकेक्षकों के मध्य सही समझ होने की काफी आवश्यकता है। इस आवश्यकता की मान्यता में, ICAI की परिषद ने इन मुद्दों को SA 600, ''एक अन्य अंकेक्षक का कार्य का उपयोग में डील किया है।'' यह स्पष्ट करता है कि कुछ स्थिति में, इकाई को संचालित करने वाला विधान प्रमुख अंकेक्षक को घटक का दौरा करने तथा उक्त घटक की लेखा पुस्तकों तथा अन्य रिकार्ड का परीक्षण करने का अधिकार देता है यदि वह ऐसा करना आवश्यक समझता है। जहां पर घटक के लिए एक अन्य अंकेक्षक को नियुक्त किया है, प्रमुख अंकेक्षक सामान्यतः इस प्रकार के अंकेक्षक का कार्य पर विश्वास करने का हकदार है जब तक कि कुछ विशेष परिस्थिति है जो उसे उस घटक की लेखा पुस्तक तथा अन्य रिकार्ड का परीक्षण करने तथा / अथवा घटक का दौरा करना आवश्यक ना कर दें। आगे यह कहता है **{2 M}**

कि यह अंकेक्षक को पर्याप्त उपयुक्त अंकेक्षण साक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया को निष्पादित करना चाहिए कि प्रमुख अंकेक्षक का उद्देश्य के अन्य अंकेक्षक का कार्य पर्याप्त है। जहां पर एक अन्य अंकेक्षक का कार्य का उपयोग करते हुए प्रमुख अंकेक्षक को साधारणतः निम्न प्रक्रिया को निष्पादित करना चाहिएः

(i) अन्य अंकेक्षक को उपयोग की सलाह देना जिस अन्य अंकेक्षक को कार्य में लिया जायेगा तथा अंकेक्षण की योजना चरण में उनके प्रयास का सामंजस्य के लिए पर्याप्त प्रबन्ध करना। प्रमुख अंकेक्षक मामलों जैसे क्षेत्र जिसमें विशेष विचार की आवश्यकता है, अर्न्तघटक सौदो की पहचान के लिए प्रक्रिया जिसमें प्रकटीकरण की आवश्यकता हो सकती है तथा अंकेक्षण की पूर्णता के लिए समय सारणी का अन्य अंकेक्षक को नियुक्त करेगा, तथा **{1 M}**

(ii) अन्य अंकेक्षक को महत्वपूर्ण लेखांकन, अंकेक्षण तथा रिपोर्टिग आवश्यकता के बारे में सलाह देगा तथा उनके साथ अनुपालना के बारे में प्रतिवेदन को प्राप्त करेगा।

प्रमुख अंकेक्षक अन्य अंकेक्षक के साथ लागू अंकेक्षण प्रक्रिया का चर्चा करेगा अथवा अन्य अंकेक्षक की प्रक्रिया तथा खोज की लिखित सारांश की समीक्षा करेगा जो पूर्ण प्रश्नावली अथवा जांच सूची का स्वरूप में हो सकता है। प्रमुख अंकेक्षक अन्य अंकेक्षक के पास दौरा करने का विचार कर सकता है। प्रक्रिया की प्रकृत्ति, समय तथा हद लिप्पता की प्रकृति तथा अन्य अंकेक्षक की पेशेवर सक्षमता का प्रमुख अंकेक्षक का ज्ञान पर निर्भर होगी। इस ज्ञान को अन्य अंकेक्षक का गत अंकेक्षण कार्य की समीक्षा से बढ़ाया जा सकता है। **{1 M}**

Answer:

(b) (a) अंकेक्षक द्वारा परिक्षित खातों पर कम्पनी के सदस्यों को रिपोर्ट करने का अधिकार– अंकेक्षक कम्पनी के सदस्यों को उसके द्वारा परिक्षित लेखा तथा सामान्य सभा में कम्पनी के सम्मुख रखे जाने के लिए इस अधिनियम के अंतर्गत अथवा के द्वारा आवश्यक प्रत्येक वित्तीय विवरण पर रिपोर्ट करेगा तथा रिपोर्ट, इस अधिनियम का प्रावधान को हिसाब में लेगा तथा लेखांकन तथा अंकेक्षण मानक तथा मामले जिसे इस अधिनियम अथवा उसके अंतर्गत बनाये किसी नियम अथवा इस धारा के अंतर्गत किसी आदेश के अंतर्गत अंकेक्षण रिपोर्ट के अंतर्गत सम्मिलित करना होगा तथा उसकी सूचना तथा सर्वोत्तम ज्ञान के उक्त लेखा, वित्तीय विवरण वित्तीय वर्ष के अंत में कम्पनी के कार्यकलाप तथा वर्ष के लिए लाभ अथवा हानि तथा नकद प्रवाह तथा इस प्रकार का अन्य मामला जैसा निर्धारित हो सकता है, का सत्य तथा उचित मत देता है। **{2 M}**

(b) अधिकारियों से सूचना तथा स्पष्टीकरण को प्राप्त करने का अधिकार– अंकेक्षक का कम्पनी का अधिकारी इस प्रकार की सूचना तथा स्पष्टीकरण को प्राप्त करने का अधिकार जैसा वह एक अंकेक्षक है के रूप में अनेक कर्तव्यों की कुशलता का निष्पादन के लिए आवश्यक है वृहत है तथा महत्वपूर्ण अधिकार है। इस प्रकार के अधिकार के अभाव में, अंकेक्षक किसी अन्य कम्पनी, फर्म अथवा व्यक्ति से निदेशकों इत्यादि से निदेशक इत्यादि द्वारा संग्रहित राशि का विवरण तथा कम्पनी से निदेशकों के द्वारा प्राप्त वस्तु में किसी लाभ को प्राप्त करने में समर्थ नहीं होगा, जिसे पुस्तकों का परीक्षण से जाना नहीं जा सकता। यह अंकेक्षक को उसके द्वारा आवश्यक सूचना तथा स्पष्टीकरण के संबंध में मामला का निर्णय करना है। जब अंकेक्षक को उसके द्वारा आवश्यक सूचना को प्रदान नहीं किया अथवा उसके द्वारा आवश्यक सूचना का खंडन नहीं किया। उसकी केवल समाधान सदस्यों को रिपोर्ट करना है कि उसने सभी सूचना तथा स्पष्टीकरण को प्राप्त नहीं किया, जिसे वह अंकेक्षकों के रूप में उसके कर्तव्यों की कुशलता के लिए आवश्यक समझा जाता है। **{2 M}**

Answer:

(c) वित्तीय विवरण के लिए उत्तरदायित्वः अंकेक्षक प्रतिवेदन में शीर्ष ''वित्तीय विवरण के लिए प्रबंधन के लिए उत्तरदायित्व'' के साथ एक धारा को सम्मिलित करेंगे।

SA 200 प्रबंधन जहां पर उपयुक्त है संचालन से प्रभारित व्यक्ति का उत्तरदायित्व से संबंधित है, जिस पर एक अंकेक्षण को SA के अनुसार परिचालित किया जाता है। प्रबंधन तथा जहां उपयुक्त संचालन से प्रभारित व्यक्ति भी इस प्रकार का आंतरिक नियंत्रण के लिए उत्तरदायित्व को भी स्वीकृत करता है क्योंकि यह वित्तीय विवरण को तैयार करने के लिए आवश्यक जो सारवान मिथ्या विवरण से मुक्त है चाहे **{1 M}**

धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण हैं। अंकेक्षक रिपोर्ट में प्रबंधन का उत्तरदायित्व का विवरण में दोनों उत्तरदायित्व का संदर्भ सम्मिलित है क्योंकि यह उपयोगकर्ता को आधार जिस पर अंकेक्षण किया गया को स्पष्ट करने में सहायता करता है।

अंकेक्षक की रिपोर्ट की यह धारा निम्न के लिए प्रबंधकीय उत्तरदायित्व को वर्णित करेगाः

(a) लागू वित्तीय रिपोर्टिग फ्रेमवर्क के अनुसार वित्तीय विवरण को तैयार करने तथा इस प्रकार आंतरिक नियं.ण जैसा प्रबंधन निर्धारित करती है वित्तीय विवरण की तैयारी करने के लिए समर्थ करने के लिए आवश्यक जो सारवान मिथ्या विवरण से मुक्त है चाहे धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण है (अंकेक्षण के अन्य पक्ष पर धोखाधड़ी के संभव प्रभाव के कारण सारवानता) धोखाधड़ी को रोकने तथा खोजने के लिए आंतरिक नियंत्रण का डिजाइन, कार्यान्वयन तथा अनुरक्षण (वित्तीय प्रतिवेदन पर प्रभावी आंतरिक नियंत्रण की स्थापना तथा बनाये रखने के लिए) के लिए इसके उत्तरदायित्व के संबंध में प्रबंधकीय अभिस्वीकृति पर लागू नहीं होगा। **{1 M}**

(b) चलायमान संस्था के रूप में जारी रखने की इकाई की योग्यताः की योग्यता की समीक्षा तथा क्या लेखांकन का चलायमान आधार का उपयोग उपयुक्त तथा साथ में प्रकट यदि लागू है, मामला चलायमान संस्था से संबंधित मामला है। समीक्षा के लिए प्रबंधकीय उत्तरदायित्व का स्पष्टीकरण में विवरण को सम्मिलित करेगा कब लेखांकन का चलायमान आधार का उपयोग उपयुक्त है। **{1 M}**

Answer:

(d) कम्पनी (अंकेक्षण तथा अंकेक्षक) नियम 2014 (इसके बाद CAAR सदर्भित) के साथ **धारा 141** की **उपधारा (3)** के अन्तगर्त निम्न व्यक्ति एक कम्पनी का अंकेक्षक की नियुक्ति का पात्र नहीं होगा नामत

(a) सीमित देयता भागीदारी अधिनियम 2008 के तहत पंजीकृत एक सीमित देयता भागीदारी के अलावा एक निकाय कॉर्पोरेटः

(b) कम्पनी का एक अधिकारी अथवा कर्मचारीः

(c) एक व्यक्ति जो कम्पनी का एक अधिकारी अथवा कर्मचारी का साझेदार अथवा रोजगार में हैं,

(d) एक व्यक्ति जो अथवा उसका संबंधी अथवा साझेदार–

(i) कम्पनी अथवा इसकी सहायक अथवा इसकी धारक अथवा सहयोगी कम्पनी अथवा इस प्रकार धारक कम्पनी का सहायक में किसी हित अथवा प्रतिभूति को रखता है।
यह नोट किया जा सकता है कि संबंधी 1,00,000 रु. से अधिक नहीं अंकित मूल्य में प्रतिभूति अथवा हित को धारित कर सकता है।
यह भी नोट किया जा सकता है कि 1,00,000 रु. की शर्त जहां पर लागू है कम्पनी जिसकी अंशपूजी नही है अथवा अन्य प्रतिभूति नही, के मामले में भी लागू होगा। **{1 M}**
यह भी नोट किया जा सकता है कि उपरोक्त न्यूनतम सीमा के उपर एक संबंधी द्वारा किसी प्रतिभूति अथवा हित का अधिगृहण की दशा में उपरोक्त निर्दिष्ट सीमा का बनाये रखने के लिए सुधारात्मक कार्यवाही को हित के अधिगृहण की 60 दिवस के अंदर अंकेक्षक द्वारा लिया जायेगा।

(ii) 5,00,000 रु. के आधिक्य में कम्पनी अथवा इसके सहायक अथवा इसका धारण अथवा एक सहायक अथवा इस प्रकार धारक की सहायक में ऋणी है अथवा

(iii) 1,00,000 रु. के आधिक्य में कम्पनी अथवा इसके सहायक अथवा इसके धारक अथवा सहयोगी कम्पनी अथवा इस प्रकार की धारक कम्पनी का सहायक को किसी तृतीय व्यक्ति के साथ ऋण के संबंध में किसी गारंटी को दिया अथवा किसी प्रतिभू को प्रदान किया।

(e) एक व्यक्ति अथवा फर्म जिसका प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से इस प्रकार की प्रकृति का कम्पनी अथवा इसके सहायक अथवा इसका धारक अथवा सहयोगी कम्पनी अथवा इस प्रकार धारक कम्पनी का सहायक व्यक्ति अथवा कम्पनी के साथ व्यापार संबंध है;

(f) एक व्यक्ति जिसका रिश्तेदार कम्पनी का निदेशक या निदेशक अथवा मुख्य प्रंबंधकीय कार्मिक के रूप में रोजगार में है। **{1 M}**

(g) एक व्यक्ति जो कहीं पर पूर्णकालिक रोजगार है अथवा इसका अंकेक्षक के रूप में नियुक्ति का धारण एक फर्म का साझेदार अथवा व्यक्ति है, यदि इस प्रकार का व्यक्ति अथवा साझेदार इस

प्रकार की नियुक्ति अथवा पुर्न नियुक्ति की तिथि पर एक व्यक्ति कम्पनियां, निष्क्रय कम्पनियां लघु कम्पनियां तथा 100 करोड़ रु. से कम चुकता अश वाली निजी कम्पनी के अतिरिक्त बीस कम्पनियों से अधिक का अंकेक्षक है।

(h) एक व्यक्ति जो धोखाधड़ी में लिप्त एक अपराध का एक न्यायालय के द्वारा सजायावता है तथा दस वर्षो की अवधि इस प्रकार की सजा की तिथि से समाप्त नही हुई।

(i) कोई व्यक्ति जिसकी सहायक अथवा सहयोगी कम्पनी अथवा इकाई का कोई अन्य प्रकार धारा 144 में प्रदान परामर्श तथा विशेषज्ञ सेवा में नियुक्ति की तिथि में लिप्त है। **{1 M}**

Answer 4:

(a) ऋण के अतिरिक्त दायित्व (ऊपर चर्चा की है) में व्यापार प्राप्य तथा अन्य चालू दायित्व, आस्थगित भुगतान क्रेडिट तथा प्रावधान सम्मिलित है। दायित्वों का सत्यापन भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि सम्पत्ति का, यह विचार करते हुए यदि दायित्व छूट गया (अथवा कम वर्णित है) अथवा अति वर्णित है चिट्ठा इकाई के कार्यकलाप का सत्य तथा उचित मद नहीं दिखायेगा। **{2 M}**

आगे, एक दायित्व चालू के रूप में वर्गीकृत है यदि यह निम्न मानदंड को संतुष्ट करती हैः

- इसकी इकाई की सामान्य परिचालन चक्र में निपटारा होने की अपेक्षा है।
- इसे मुख्यतः व्यापारिक होने के उद्देश्य से रखा है।
- यह प्रतिवेदन अवधि के प्श्चात् बारह माह के अंदर निपटारा के लिए देय है।
- इकाई का प्रतिवेदन अवधि के प्श्चात् कम से कम बारह माह के लिए दायित्व का आस्थगन का बिना शर्त का अधिकार नहीं है। दायित्व की शर्त जो प्रतिपक्ष का विकल्प पर समता प्रलेख के निर्गम के द्वारा इसका निपटारा में परिणामतः होती है, इसके वर्गीकरण को प्रभावित नहीं करती। **{2 M}**

Answer:

(b) सम्पत्तियों का गबन :

इसमें इकाई की सम्पत्ति की चोरी लिप्त है तथा प्रायः तुलनात्मक छोटी तथा सारहीन राशि में कर्मचारियों द्वारा की जाती है। यद्यपि, इमसें प्रबंधन भी लिप्त हो सकते हैं जो प्रायः गबन को इस प्रकार छुपाने में समर्थ होते हैं कि उसका खोजना कठिन है। सम्पत्ति का गबन कई तरीके से किया जा सकता है जिसमें सम्मिलित हैः

- प्राप्ति की हेराफेरी (उदाहरण के लिए प्राप्य खाता पर संग्रहण का गबन अथवा अपलिखित खाता से व्यक्तिगत बैंक खाता में प्राप्ति को मोड़ना)
- भौतिक सम्पत्तियों अथवा बौद्धिक सम्पत्तियों को चुराना (उदाहरण के लिए, व्यक्तिगत उपयोग अथवा बिक्री के लिए इवेंटरी का चुराना, पुर्नबिक्री के लिए कबाड़ का चुराना, भुगतान की विवरणी में प्रौद्योगिकी की डाटा को प्रकट कर प्रतिस्पर्द्धी के साथ साठगांठ) **{2 M}**
- प्राप्त नहीं वस्तु तथा सेवा के लिए इकाई को भुगतान के लिए कहना (उदाहरण के लिए, कृत्रिम विक्रेता, कीमतों में वृद्धि के लिए वापिसी में इकर्ई का क्रय एजेंट को विक्रेता द्वारा भुगतान रिश्वत)।

उदाहरण

विनीत Zed Ex लि0 में एक प्रबंधक है। उसके पास 10,000 रुपये तक का चैक पर हस्ताक्षर करने का अधिकार है, अंकेक्षण करते हुए अंकेक्षक राजन ने पाया कि 9,999 रुपये का काई चैक है जिस पर विनीत ने हस्ताक्षर किये। आगे, विनीत ने बड़े भुगतान को विभक्त किया (10,000 रुपये से अधिक की राशि का चेक को 10,000 रुपये से कम दो अथवा ज्यादा चैक में विभक्त किया ताकि वह भुगतान को प्राधिकृत कर सके।

इसने अंकेक्षक ने पाया गया कि अंकेक्षक ने पाया कि 9,999 रुपये के चैक को विनीत के व्यक्तिगत खाता में जमा किया अर्थात् विनीत ने राशि का गबन किया। **{2 M}**

कम राशि में चैक को विभक्त करना खाते की गड़बड़ी में लिप्त है।

एक कर्मचारी द्वारा धोखाधड़ी की गयी

- व्यक्तिगत उपयोग के लिए इकाई की सम्पत्ति का उपयोग (उदाहरण के लिए इकाई की सम्पत्ति का व्यक्तिगत ऋण अथवा संबंधित पक्ष को ऋण देने के लिए प्रयुक्त करना)।

  सम्पत्ति का गबन प्रायः असत्य अथवा भ्रामक रिकार्ड अथवा प्रपत्र द्वारा संलग्न होता है ताकि इस तथ्य को छुपाया जा सके कि सम्पत्ति गुम है अथवा बिना उपयुक्त प्राधिकरण के बंधक की है।

Answer:

(c) बारम्बार बाहरी पुष्टि प्रक्रिया प्रासंगिक है, जब खाता शेष तथा उससे जुड़े अभिकथन को संबोधित करते हैं, परन्तु इन मदों तक सीमित नहीं है। उदाहरण के लिए, अंकेक्षक एक इकाई तथा अन्य पक्षों के मध्य समझौता, संविदा अथवा सौदों के संदर्भ में बाहरी पुष्टि की मांग कर सकता है। बाहरी पुष्टि प्रक्रिया को कुछ शर्तो के अभाव के बारे में अंकेक्षण साक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निष्पादित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, एक प्रार्थना विशेष रूप से पुष्टि की मांग कर सकती है कि कोई ''साइड समझौते'' विद्यमान नहीं है जो इकाई की राजस्व कट ऑफ अभिकथन से प्रासंगिक है। अन्य स्थिति जहां पर बाहरी पुष्टि प्रक्रिया सारवान मिथ्या विवरण की समीक्षा जोखिम के प्रत्युत्तर में प्रासंगिक अंकेक्षण साक्ष्य प्रदान कर सकता है: **{1 M}**

- बैंकिंग संबंध से प्रासंगिक बैंक शेष तथा अन्य सूचना
- खाता प्राप्य शेष तथा अवधि
- प्रक्रियागत अथवा प्रेषण के लिए माल भण्डारण गृहों पर तृतीय पक्ष द्वारा धारित स्कंध
- सुरक्षा अमानत अथवा सुरक्षा के लिए वकीलों अथवा वित्त प्रदानकर्ता द्वारा धारित सम्पत्ति हक विलेख
- तृतीय पक्षकारों के द्वारा सुरक्षित रखने के लिए धारित निवेश अथवा स्टॉक ब्रोकर्स से क्रय परन्तु तुलनपत्र तिथि तक सुपुर्दगी नहीं।
- पुर्नभुगतान की प्रासंगिक शर्त तथा प्रतिबंध संविदा सहित लेनदारों को देय राशि
- खाता भुगतान योग्य शेष तथा अवधि।

{Any 4 Point Each 1/2 Mark}

Answer:

(d) अंकेक्षण तथा कानून के मध्य संबंध काफी नजदीकी हैं। अंकेक्षण में क्या अथवा इन सौदों को सही ढंग से प्रविष्ट किया है, के मत से विभिन्न सौदो का परीक्षण लिप्त है यह आवश्यक करता है कि अंकेक्षक की **{1 M}**

इकाई को प्रभावित करने वाला व्यापार कानून का अच्छा ज्ञान है। यह संविदा का कानून, पराक्रमय प्रलेख इत्यादि के साथ परिचित होना चाहिए। कराधान कानून का ज्ञान भी आवश्यक है क्योंकि इकाई को विभिन्न **{1 M}**

कर कानून के द्वारा प्रभावित विभिन्न प्रावधानों को ध्यान में रखकर अपने वित्तीय विवरण को तैयार करना होता है। विभिन्न सौदों विशेष रूप से लेखांकन पक्ष का प्रभाव का विश्लेषण में एक अंकेक्षक का प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कर कानून के बारे में अच्छा ज्ञान होना चाहिए। **{1 M}**

Answer 5:

(a) कृषि अग्रिम

दिशा–निर्देशों के अनुसार, कृषि अग्रिम दो प्रकार के हैं,

(1) ''लम्बी अवधि'' फसलों के लिए कृषि अग्रिम और

(2) ''छोटी अवधि'' फसलों के लिए कृषि अग्रिम **{2 M}**

''लम्बी अवधि'' की फसलों के एक वर्ष से अधिक फसलों की फसल होगी और फसलों, जो ''लम्बी अवधि'' नहीं है, को ''लघु अवधि'' फसलों के रूप में माना जाएगा।

प्रत्येक फसल के लिए फसल को मौसम, जिसका मतलब हैं, कि उठाए गए फसलों की कटाई की अवधि प्रत्येक राज्य में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति द्वारा निर्धारित की जाएगी।

निम्नलिखित एनपीए मानदण्ड कृषि अग्रिमों (क्रॉप अवधि ऋण सहित) पर लागू होगे: **{2 M}**

- अल्प अवधि की फसलों के लिए दी गई ऋण को एनपीए जाएगा, यदि मूलधन या ब्याज की किश्त दो फसलों के मौसमों के लिए अतिदेय रहती हैं औरं,
- लंबी अवधि की फसलों के लिए दी गई ऋण को एनपीए माना जाएगा, यदि एक फसल सीजन के लिए मूलधन या ब्याज की किश्त एक अतिदेय नहीं है।

Answer:

(b) ऐसे खाते जहाँ उधारकर्ताओं द्वारा किए गए सुरक्षा/धोखाधड़ी के मूल्य में कटाव होता हैं, सम्पति वर्गीकरण के चरणों का पालन करने के लिए विवेकपूर्ण नहीं। इसे सीधे–सीधे वर्गीकृत होना चाहिए, संदिग्ध या हानि सम्पति जैसा कि उपयुक्त हैं, **{1½ M}**

(i) सुरक्षा के मूल्य में क्षरण को सिक्योरिटी के रूप में माना जा सकता है, जब सुरक्षा के वसूली योग्य मूल्य बैंक द्वारा निर्धारित के 50 प्रतिशत से कम या आरबीआई द्वारा पिछले निरीक्षण के समय में स्वीकार किए जाते हैं, जैसा कि मामला हो। ऐसे एनपीए संदिग्ध श्रेणी के तहत सीधे–सीधे क्लास हो सकते है और संविधान सम्पति पर लागू प्रावधान के रूप में प्रावधान किया जाना चाहिए।

(ii) यदि बैंक/अनुमोदित वैल्यूर्स/आरबीआई द्वारा मूल्यांकन के रूप में सुरक्षा के वसूली योग्य मूल्य उधारकर्ता खातों मे बकाया का 10 प्रतिशत से कम हैं, तो सुरक्षा की मौजदूगी को नजरअंदाज किया जाना चाहिए और परिसम्पति सीधे दूर होनी चाहिए, हानि परिसम्पत्ति के रूप में वर्गीकृत। यह या तो लिखित ओएफएफ या बैंक द्वारा पूरी तरह से प्रदान किया जा सकता है। **{1½ M}**

Answer:

(c) उपयुक्ता अंकेक्षण 'उपयुक्तता अंकेक्षण' के अनुसार अंकेक्षक उन अनुचित दशाओं, अपरिहार्यताओं, निष्फल व्ययों चाहे वे व्यय सम्बन्धित नियमों तथा नियमनों की सीमओं के अन्तर्गत ही उपगत व्यय क्यों न हों, को खोजने का प्रयत्न करता हैं। समय बीतने के साथ–साथ यह अनुभव किया गया कि केवल नियमित अंकेक्षण ही सार्वजनिक हितों की उचित सुरक्षा करने में पर्याप्त नहीं है। एक लेन–देन को इन सभी आवश्यकताओं को सन्तुष्ट करना होता हैं, जिनकी आवश्यकता नियमित लेन–देनों के सम्बन्ध में होती है अर्थात वे विभिन्न औपचारिकताएँ तथा नियम जिनकी आवश्यकता लेन–देनों के सम्बन्ध में होती है अर्थात वे विभिन्न औपचारिकताएँ तथा नियम जिनकी आवश्यकता लेन–देनों की पूर्णता को सुनिश्चित करने से सम्बन्धित होती हैं, उनका पालन किया जाना चाहिए, परन्तु ये अब भी अत्यन्त दोषपूर्ण हो सकती हैं। टेलीफोन एक्सचेंज (Telephond Exchange) को लगाने में इमारत का निर्माण किया जा सकता है, परन्तु इस भवन का उपयोग हो सकता हैं, उस रूप में न किया जाये, परिणापस्वरूप ऐस व्यय निष्फल हो सकते हैं, अथवा विद्यालय चलाने के उद्देश्य से एक भवन का निर्माण कराया जाये, परिणामस्वरूप ऐसे व्यय निष्फल हो सकते हैं, अथवा विद्यालय चलाने के उद्देश्य से एक भवन का निर्माण कराया जाये, परन्तु उसका प्रयोग पाँच वर्षो के पश्चात जब भवन बनकर तैयार हो जाए तब किया जाये यह अपरिहार्य व्ययों से सम्बन्धित एवं दशा है। **{1 M}**

अतएव अंकेक्षण सार्वजनिक वित्तीय नैतिकता को बुद्धि, वफादारी तथा लेन–देनों की किफायत के सन्दर्भ में देखने का प्रयास करता हैं, जिससे उच्चस्तरीय मानकों को प्राप्त किया जा सके। इन विचारों से उपयुक्तता अंकेक्षण का उदय हुआ, जिन्हें अब अंकेक्षण अधिकरणों के साथ नैतिक कार्यो की तरह प्रयोग में लाया जाता है। उपयुक्तता के प्रति अंकेक्षण के मार्ग को नियंत्रित करने हेतु किसी सूक्ष्म नियमावली का सृजन काफी कठिन होता है। अंकेक्षक का एक उद्देश्य अपनी स्वीकृति के लिए सामान्य विवके तथा अंकेक्षकों की तर्कशक्ति की अपील करता है तथा उन व्यक्तियों के विवके की मांग करता है, जिनके वित्तीय लेन–देन उपयुक्तता अंकेक्षण के क्षेत्र में आते है। वैसे कुछ सामान्य सिद्धान्त अंकेक्षण मानदण्ड संहिता में बनाये गये हैं, जिनको काफी लम्बे समय से वित्तीय औचित्य का मानदण्ड माना जा रहा है। औचित्य के प्रति अंकेक्षण यह आश्वासन पाने का प्रयास करता है कि व्यय इन सिद्धान्तों से मेल खाते हैं, जिनको नीचे समझाया जा रहा है: **{1 M}**

(a) व्यय सरसरी तौर से मौके की मांग से अधिक नहीं होनी चाहिये। प्रत्येक सरकारी अधिकारी से आशा की जाती है कि सार्वजनिक धन से किये जाने वाले व्यय के सम्बन्ध में वही सावधानी बरते जो एक सामान्य विवेकशील प्राणी अपने निजी धन के खर्चे के सम्बन्ध में बरतता है।

(b) कोई भी सत्ता ऐसे व्ययों की स्वीकृति की शक्ति का उपयोग न करे ऐसा आदेश पास करने के लिए जो प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उसके अपने निजी लाभों के लिए हो।

(c) सार्वजनिक धन को समाज के किसी वर्ग विशेष या व्यक्ति विशेष के हितार्थ उपयोग न किया जाये जब तक कि: **{1 M}**

  (i) सन्निहित व्यय की राशि महत्वहीन सी न हो; या
  (ii) राशि के लिए कोई दावा न्यायालय में प्रवर्तनीय न कराया जा सके; या
  (iii) व्यय मान्य नीतियाँ तौर–तरीके के अनुरूप न रहे; तथा
  (iv) भत्तों की राशि जैसे यात्रा भत्ता एक विशेष प्रकार के व्ययों को पूरा करने के लिए स्वीकार किया जाता है, इसको इस प्रकार किया जाये कि भत्ते, कुल–मिलाकर प्राप्तकर्ता के लिए लाभ के स्रोत न बन जायें।

Answer:

(d) CAG की भूमिका कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप–धाराओं (5), (6) व (7) में निर्धारित है। एक सरकारी कम्पनी की दशा में CAG धारा 139 की उपधारा (5) या (7) के अंतर्गत अंकेक्षक की नियुक्ति करेगा अर्थात् प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति या बाद वाले अंकेक्षक की नियुक्ति और ऐसे अंकेक्षक को सरकारी कम्पनी के लेखों के अंकेक्षण के बारे में निर्देश देगा कि उनका अंकेक्षण किस ढंग से किया जाए। इस प्रकार से नियुक्त अंकेक्षक CAG को अंकेक्षण रिपोर्ट की एक प्रति देगा, अन्य बातों के अतिरिक्त उससे निर्देश होंगे, यदि कोई हैं, उस पर की गई कार्यवाही और इसका कम्पनी लेखों और वित्तीय विवरण पर पड़ने वाला प्रभाव। **{1 M}**

CAG को अंकेक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने के 60 दिन के अन्दर अधिकार होगा।

(a) ऐसी कम्पनियों के वित्तीय विवरणों का पूरक अंकेक्षण (Supplementary Audit) ऐसे व्यक्तियों के द्वारा कराने का जिन्हें वह इस संबंध में अधिकृत करें। ऐसे अंकेक्षण के उद्देश्यों के लिए किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को सूचना या अतिरिक्त सूचना दे, ऐसे विषयों के संबंध में, ऐसे व्यक्तिय या व्यक्तियों द्वारा और ऐसे ढंग से जैसा वह CAG निर्देश दे। **{$1^{1/2}$ M}**

(b) ऐसी अंकेक्षण रिपोर्ट पर टिप्पणी और उसे पूरक करें :
बशर्ते कि CAG द्वारा की गई टिप्पणी या पूरक अंकेक्षण रिपोर्ट कम्पनी द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को भेजी जाएगी, जो धारा 136 की उपधारा (1) के अंतर्गत इसे प्राप्त करने का अधिकारी है, अर्थात् कम्पनी के प्रत्येक सदस्य, कम्पनी द्वारा जारी ऋणपत्रों के न्यासी को और सभी व्यक्तियों को ऐसे सदस्यों या न्यासी को छोड़कर, जो इसे प्राप्त करने के अधिकारी है। साथ–साथ कम्पनी की वार्षिक साधारण सभा में प्रस्तुत की जाएगी, अंकेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करते समय और उसी ढंग से।

नमूने का अंकेक्षण (Test Audit) : पुनः अंकेक्षण और अंकेक्षक के संबंध में प्रावधानों के पूर्वाग्रह के बगैर CAG उन कम्पनियों के संबंध में, जो धारा 139 की उपधारा (5) और (7) में समामेलित है, यदि वह आवश्यक समझें एक आदेश के द्वारा ऐसी कम्पनी के लेखों के नमूने की अंकेक्षण जॉच (Test Audit) कर सकता है। ऐसे नमूने को अंकेक्षण जॉच की रिपोर्ट के संबंध में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य, शक्तियॉ और सेवा की शर्ते अधिनियम, 1971 की धारा 19ए के प्रावधान लागू होंगे। जैसा कि उपरोक्त में वर्णन किया गया है, एक सरकारी कम्पनी की दिशा में अंकेक्षण पेशेवर अंकेक्षकों द्वारा किया जाता है। जिनकी नियुक्ति CAG की सलाह पर की जाती है। CAG कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अंतर्गत पूरक या नमूने की जॉच अंकेक्षण करवाने के लिए अधिकृत है। **{$1^{1/2}$ M}**

Answer 6:

(a) यदि, धोखाधडी अथवा संदिग्ध धोखाधडी के परिणामतः एक मिथ्या विवरण के परिणाम के रूप में, अंकेक्षक के साथ असाधारण परिस्थिति में आती है, जो अंकेक्षण के रूप में, अंकेक्षक के साथ असाधारण परिस्थिति में आती है, जो अंकेक्षण का निष्पादन को चालू रखने में अंकेक्षक की योग्यता को प्रश्न में लाता है, अंकेक्षक :

(a) परिस्थिति में लागू पेशेवर तथा कानूनी उत्तरदायित्व का निर्धारण करना जिसमें सम्मिलित है क्या व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को रिपोर्ट करने की आवश्यकता है जिसने अंकेक्षण नियुक्ति की है अथवा कुछ मामले में विनियामक प्राधिकरण का; **{1/2 M}**

(b) विचार किजिए क्या लिप्तता से हटना उपयुक्त है जहां पर लागू कानून अथवा विनियमन के अन्तर्गत संभव है; तथा **{1/2 M}**

(c) यदि अंकेक्षक हटता है :

(i) प्रबंधन के उपयुक्त स्तर तथा जो उसके लिये जिम्मेदार है के साथ अंकेक्षक की लिप्तता से हटाने तथा हटाने के लिये कारणों की चर्चा करे।

(ii) निर्धारण करें क्या व्यक्ति अथवा व्यक्तियों जिन्होंने अंकेक्षण नियुक्ति की है अथवा कुछ मामलों में विनियामक प्राधिकरण को लिप्तता से अंकेक्षक का हटना तथा हटने का कारण को रिपोर्ट करने के लिए पेशेवर अथवा कानूनी आवश्यकता है। **{2 M}**

(a) परिस्थिति में लागू पेशेवर तथा कानूनी उत्तरदायित्व का निर्धारण करें जिसमें सम्मिलित हैं क्या अंकेक्षक की व्यक्ति अथवा व्यक्तियों जिन्होंने अंकेक्षण नियुक्ति की है अथवा कुछ मामलों में विनियामन प्राधिकरण को रिपोर्ट करने की आवश्यकता है;

(b) विचार करें क्या लिप्तता से हटने का उपयुक्त स्तर है जहां पर लागू कानून अथवा विनियमन के अन्तर्गत हटना संभव है तथा

(c) यदि अंकेक्षक हटता है :

(i) प्रबंधन का उपयुक्त स्तर तथा संचालन से प्रभारित व्यक्तियों की लिप्तता से अंकेक्षक का हटना तथा हटना का कारण की चर्चा करना; तथा

(ii) निर्धारण करें क्या व्यक्ति अथवा व्यक्तियों जिन्होंने अंकेक्षण नियुक्ति की अथवा कुछ मामलों में विनियामक प्राधिकरण को लिप्तता से अंकेक्षक की नियुक्ति तथा हटने का कारण को रिपोर्ट करने की पेशेवर अथवा कानूनी आवश्यकता है।

Answer:

(b) मौलिक विश्लेषणात्मक प्रक्रिया के रूप में उपलब्ध तकनीक : मौलिक विश्लेषणात्मक प्रक्रिया का डिजाइन विश्वसनीय डाटा की उपलब्धता तथा अंकेक्षण दल का अनुभव तथा सृजनता तक सीमित है। मौलिक विश्लेषणात्मक प्रक्रिया सामान्यतः निम्न में से एक स्वरूप लेता है।

- **प्रवृति विश्लेषण** – एक सामान्य रूप से प्रयुक्त तकनीक चालू डाटा का गत अवधि प्रक्रिया के साथ तुलना है अथवा दो अथवा अधिक पूर्व अवधि शेष में प्रवृति के साथ तुलना है। हम आंकलन करते है क्या एक खाता का वर्तमान शेष उस खाता के लिए गत शेष के साथ स्थापित प्रवाह के साथ लाइन में है अथवा फेक्टर्स की समझ पर आधारित है जो खाता को बदलता है। **{1 M}**

- **अनुपात विश्लेषण** – जैसे राजस्व तथा व्यय खाता है उसी प्रकार विश्लेषण सम्पत्ति तथा दायित्व खाता उपयोगी है। एक वैयक्तिक चिट्ठा स्वयं में अनुमान करने के लिए कठिन है, परन्तु एक अन्य खाता में सम्बन्ध प्रायः अधिक पुर्वानुमान योग्य है। (उदाहरण : बिक्री से सम्बन्धित व्यापार प्राप्य शेष) अनुपात की समय पर तुलना की जा सकती है अथवा समूह के अंदर पृथक इकाईयों का अनुपात अथवा उसी उद्योग में अन्य कम्पनियों की अनुपात के साथ तुलना की जा सकती है। **{1 M}**
  - ➢ उदाहरण के लिए, वित्तीय अनुपात में सम्मिलित हो सकता हैः
  - ➢ व्यापार प्राप्य अथवा इवेंटरी आवर्त
  - ➢ भाड़ा व्यय बिक्री राजस्व की प्रतिशत के रूप में

- **उचितता टेस्ट** – प्रवृत्ति विश्लेषण से हटकर, यह विश्लेषणात्मक प्रक्रिया पूर्ण अवधि की घटना पर विश्वास नहीं करता, परन्तु विचाराधीन अंकेक्षण उसके लिए गैर वित्तीय डाटा पर निर्भर करता है (उदाहरणत : किराया आय का अनुमान के अभियोग दर अथवा आय अथवा व्यय का अनुमान लगाने के लिए ब्याज दर) यह टेस्ट प्रायः ज्यादा आय विवरण खाता तथा कुछ उर्पाजन अथवा पुर्व भुगतान खाता पर लागू है। **{1 M}**

- **संरचनात्मक मोडलिंग** – एक मोडलिंग टूल चालू खाता शेष का अनुमान लगाने के लिए पूर्व लेखांकन अवधि का वित्तीय तथा/अथवा गैर वित्तीय डाटा जो सांख्यिकी मॉडल को बनाता है। **{1 M}**

Answer:

(c) प्रमुख अंकेक्षण मामला का संप्रेषण का उद्देश्य

SA 701, ''अंकेक्षक की रिपोर्ट में प्रमुख अंकेक्षण मामलों का संप्रेषण के अनुसार, प्रमुख अंकेक्षण मामला का संप्रेषण का उद्देश्य जिसे निष्पादित किया, के बारे में ज्यादा पारदर्शिता का प्रदान करने का अंकेक्षक का रिपोर्ट का संप्रेषण मूल्य को बढ़ाया है। प्रमुख अंकेक्षण मामला का संप्रेषण एच्छिक उपयोगकर्ता को उन मामला में समझने में उसकी सहायता करने के लिए अतिरिक्त सूचना को प्रदान करता है जो अंकेक्षक की पेशेवर निर्णयन में चालू अवधि का वित्तीय विवरण का अंकेक्षण में ज्यादा महत्व का है। **{2 M}** प्रमुख अंकेक्षण मामला का संप्रेषण इकाई को समझने तथा अंकेक्षित वित्तीय विवरण में महत्वपूर्ण प्रबंधकीय निर्णय का क्षेत्र में एच्छिक उपयोगकर्ताओं की भी सहायता करता है। **{1 M}**

Answer :

(d) एक NGO का अंकेक्षण की योजना बनाते हुए, अंकेक्षक निम्न पर ध्यान केन्द्रित कर सकता है :

(i) NGO का कार्य, इसका मिशन तथा विजन, परिचालन का क्षेत्र तथा वातावरण जिसमें यह परिचालित होती है, का ज्ञान।

(ii) हाल की संशोधन, परिपत्र, विधान से संबंधित न्यायिक निर्णय के सम्बन्ध में विशेष रूप से प्रासंगिक विधान का ज्ञान को उपडेट करना।

(iii) संस्था का कानूनी स्वरूप तथा इसका पार्षद सीमा नियम, पार्षद अर्न्तनियम, नियम तथा विनियमन की समीक्षा।

(iv) NGO का संगठनात्मक चार्ट, तब वित्तीय तथा प्रशासकीय मेन्युल, प्रोजेक्ट तथा कार्यक्रम मार्गदर्शिका, फंडिंग एजेंसी आवश्यकता तथा फोरमेट, बजटरी नीतियां यदि कोई है, की समीक्षा।

(v) बोर्ड/प्रबंधकीय समिति/संचालन संस्था/प्रबंधन तथा उसकी समिति की मिनटों का परीक्षण ताकि वित्तीय रिकॉर्ड पर किसी निर्णय का प्रभाव को ज्ञात किया जा सके।

(vi) NGO के लिए विद्यमान लेखांकन प्रणाली, प्रक्रिया, आंतरिक नियंत्रण तथा आंतरिक जांच का अध्ययन तथा उनके लागू करने का सत्यापन

(vii) अंकेक्षण उद्देश्य के लिए सारवानता स्तर की स्थापना

(viii) रिपोर्ट अथवा अन्य संप्रेषण की प्रकृति तथा समय

(ix) विशेषज्ञ तथा उनकी रिपोर्ट की लिप्तता

(x) गत वर्ष के अंकेक्षण रिपोर्ट की समीक्षा।

{Any 8 points 1/2 Mark Each}

***